तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26	वास्ते बहस अंतिम 13/3/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
13/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... व्यक्तिक उपस्थित रखा / P.O. ... मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 2/4/26 को पेश हो। [signature]	
14/26	प्रभा. पेशकार वकील पक्ष उप। वास्ते बहस अन्तिम उपस्थित वास्ते बहस 13/4/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
26	पत्रावली पेश। वादी द्वारा धारा 88, 89, 188 R T Act के तहत वाद पेश किया गया है। वादी का कथन है कि वह मृतक रामगोपाल आत्मज हीरापुरी के पुत्र है। उनके पिता की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की आराजी ग्राम निमाना तहसील रामगंजमंडी खसरा नं. 681 रकबा 0.35 है., ख.नं. 683 रकबा 0.01 है., ख.नं. 684 रकबा 5.45 है. कुल 5.81 है. स्थित है। उनके पिता की मृत्यु	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के बाद वादी इस आराजी पर काबिज काश्त है। वादी ने प्रतिवादिगण की शादी करवाई है। अब प्रतिवादीगण का इस आराजी पर कोई हक नही है। वादी की प्रार्थना है कि वादी को adverse possession होने व मृतक रामगोपाल की वैध सन्तान एवं उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त आराजी का खातेदार घोषित कराया जाए व प्रतिवादीगण के विरुद्ध इहें स्थाई निषेधाज्ञा दी जाए। इसके विरुद्ध प्रतिवादी 4 का जवाब प्राप्त है। प्रतिवादी ने कहा है कि उनका जन्मत: वादग्रस्त आराजी में हिस्सा निहित है। वादी स्वयं प्रतिवादीगण को बहने मान रहा है। अत: दावा निरस्त फरमाया जाए। तनकीदार निर्णय निम्न प्रकार से है — जमाबंदी नकल सम्वत 2072-2075 में दर्ज नोट से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि विक्रमत से मृतक रामगोपाल के स्थान

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई। इस तथ्य को वादी एवं प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। तनकी 1 वादी के पक्ष में जाती है। वादी उक्त अराजी का प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार है। वादी ने स्वयं अपने वाद व वंश वृक्ष में प्रतिवादीगण को अपनी बहने स्वीकार किया है। वादी सिर्फ adverse possession के आधार पर खातेदार नही बन सकता। तनकी 2 वादी के विरुद्ध जाती है। क्योंकि वादी भूमि का एक मात्र खातेदार नही है, वह प्रतिवादीगण जो कि सहखातेदार हैं, उनके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा नही ले सकता। जमाबंदी नकल में लगे नामांतरण संख्या 489 दिनांक 20/07/2015 नोट से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण रामगोपाल की पुत्रीया है व वादी की बहन है। अतः इन्हें वादग्रस्त भूमि में अधिकार प्राप्त है। बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, वादी सहखातेदारो की भूमि नहीं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हड़प सकता। अत: तनकी 4, 5 प्रतिवादी के पक्ष में जाती है। अत: तनकीवार निर्णय अनुसार वादी का वाद निरस्त किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी 13/04/2026